



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 259-पारे०अनु०-04 / पाद्राकालि-2023-18 / 14 टी०सी०-

दिनांक: 19 अप्रैल, 2023

कार्यालय ज्ञाप

विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3, कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या आई/210789/2022/65-3099/135/2022, दिनांक: 08.09.2022 में सदर्मित उप सचिव, सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या:F.No.29-6/2019-DD-III दिनांक:10.08.2022 द्वारा ऐसे दिव्यांगजन, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-2(S) के अन्तर्गत आच्छादित हो, किन्तु धारा-2(r) से आच्छादित न हों अर्थात 40% से कम दिव्यांग हों एवं जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, को लिखित परीक्षा के समय में छूट दिये जाने सम्बन्धी निर्गत दिशा-निर्देशों/व्यवस्थाओं को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या-456-पे०एवंआर०-28/पाकालि/23-10(2)पे०एवंआर०/01(टीसी-2022), दिनांक: 02.03.2023 द्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.03.2023 को सम्पन्न 90वीं बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या-456-पे०एवंआर०-28/पाकालि/23-10 (2)पे०एवंआर०/01(टीसी-2022), दिनांक: 02.03.2023 को उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० में अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड की सेवाओं में दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या:F.No.29-6/2019-DD-III दिनांक:10.08.2022 में प्राविधानित तत्सम्बन्धी दिशा-निर्देश/व्यवस्थाओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या-259 (i)-पारे०अनु०-04 / उ०प्र०पा०द्रा०का०लि० / 2023

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन (मु०), लखनऊ के निजी सचिव।
- 4- समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 5- मुख्य अभियन्ता (हार्डिडिल), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 7- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं स्तर-2), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 8- संयुक्त सचिव (पारेषण-प्रथम), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 11- उप सचिव (पारेषण-प्रथम/द्वितीय), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।

- 13- सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 14- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
- ✓ 15- अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट www.upptcl.org पर शीर्ष प्राथमिकता पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
Satyarth
(सत्यार्थ/गंगवार)
उप सचिव (आरेषण-तृतीय)